राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 1 (67) परि/स्था/2020/ 16258 जयपुर, दिनांकः 21-08-2020.

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग द्वारा विभाग आवंटन के आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह पर एवं तत्पश्चात् राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 के तहत् अनुसूची IV के पे मैट्रिक्स लेवल L-5 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति अपने नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में देंगेः-

क्र. सं.	मेरिट नं.	नाम	पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	आवंटित जिला	पदस्थापन स्थान
1.	305	श्री कृष्ण कुमार	श्री शुभकरण	ग्रम पोस्ट नबीपुरा, तहसील फतेहपुर जिला सीकर-332303	29.08.1993	अपिव	सीकर	प्रा.प.का. सीकर
2.	345	श्री प्रदीप सिंह शेखावत	श्री रमेश सिंह	4/48 विवेकानन्द नगर, मीणा मंदिर के पास, काला कुआ, अलवर-301001	06.09.1995	सामान्य	अलवर	प्रा.प.का. अलवर
3.	4688	श्री सियाराम गुर्जर	श्री बजरंगलाल गुर्जर	ग्राम गुड़ा आनन्दपुरा, पोस्ट रजवास, तहसील निवाई जिला टोंक-304021	22.05.1994	एम.बी.सी.	पाली	प्रा.प.का. पाली
4.	5561	श्री जितेन्द्र परिहार	श्री मीठाराम परिहार	3/22 काजरी कॉलोनी, शास्त्रीनगर, जिला जोधपुर-342003	12.07.1998	अजा	पाली	प्रा.प.का. पाली
5.	7727	श्री प्रमोद कुमार बैरवा	श्री मंगतुराम बैरवा	वार्ड नं. 4, टोडीपाडा कॉलोनी, टोडाभीम जिला करौली-321611	09.07.1991	अजा	अलवर	प्रा.प.का. अलवर
6.	7828	श्री नरेश कुमार खींची	श्री मोहनलाल खींची	333, देवनारायण मंदिर के पास, गुर्जरों का मौहल्ला, कसुवा, कोटा-324004	11.09.1989	अजा	झालावाड	जि.प.का. झालावाड

Scanned with CamScanner

15

उक्त नियुक्ति अधोलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई विधिवत् सूचना प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्तियाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11 (204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थायी रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षाधीन अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थियों का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की सामप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार नियमित वेतन व अन्य भत्ते देय होंगे।
7. चयनित अभ्यर्थियों के अपने वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेरिट के आधार पर ही होगा।
8. परिवीक्षा अवधि में इन्हें प्रति केलैण्डर वर्ष 15 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं0 एफ.13 (1) वित्त/नियम/2003 दि0 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत् अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना प.12 (6) वित्त/नियम/05 दि. 13.03.2006, 6 (6) वित्त नियम/2005 दि. 13.03.2006, 1 (2) वित्त नियम/2006 दि. 13.03.2006, 13 (1) वित्त नियम/2003 दि. 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 दि. 30.10.2017 के नियम 16 व परिशिष्ट – 'IV' के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान–किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च

Scanned with CamScanner

न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित की गई है। एक बार अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
15. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में इनको लिपिक ग्रेड II के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत स्थायी आधार पर नियुक्ति कर सकेगी।
16. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज जाली पाये जाते है, तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
17. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उपरोक्त कनिष्ठ सहायकों को संबंधित कार्यालयध्यक्ष कार्यग्रहण करने के पश्चात शाखा में पदस्थापित करने से पूर्व एक माह का कार्यालयीय प्रशिक्षण दिलवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

-sd-
(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांकः एफ 1 (67) परि/स्था/2020/16259-269 जयपुर, दिनांकः 21-08-2020.

प्रतिलिपिः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग को उनके पत्रांक प.1(1) प्र.सु./अुन-3/2020 दिनांक 16.05.2020 के संदर्भ में।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड।
7. अति. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सम्बन्धित श्री.. को भेजकर लेख है कि अपनी उपस्थिति उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9. गोपनीय शाखा/संस्थापन शाखा/भुगतान शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
10. निजी पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा)
एवं संयुक्त शासन सचिव (मु.)

Scanned with CamScanner